



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4925/2026

आरिफ

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : - ओ.पी. तिवारी, सौरभ तिवारी
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में प्रार्थी के विरुद्ध दो मुकदमे दर्शाए गए हैं। दोनों मुकदमों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत के आदेश जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के साथ संयुक्त रूप से अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न हैं। इन मुकदमों के अलावा, प्रार्थी का 12 अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें भी उसे अनुलग्नक संख्या-4 में निहित आदेशों द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। प्रार्थी दिनांक 11.05.2025 से जेल में बंद है। सह-अभियुक्त विकास यादव और इब्राहिम बाबा को इस अदालत द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 13131/2025 और 515/2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उ.प्र. गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षा के अनुसार वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन वे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

4. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा आरोपों की प्रकृति, गैंग चार्ट में दर्शाए गए मुकदमे (मुकदमों) में और साथ ही ऊपर उल्लेखित मुकदमों में प्रार्थी को दी गई जमानत, सह-अभियुक्त विकास यादव का जमानत आदेश, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्कों, जिस अवधि से वह जेल में है, उस पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

5. प्रार्थी आरिफ, जो थाना- हसनगंज, जिला- उन्नाव में उ.प्र. गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 425/2025, धारा 3(1) में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, न्यायहित में अधिरोपित की जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iv) प्रार्थी इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(v) प्रार्थी उ.प्र. गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षा के अनुसार एक वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(vii) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

6. जमानत प्रार्थनापत्र को तदनुसार, समानता के आधार पर भी स्वीकार किया जाता है।

29 जून, 2026

एमकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।